457

बिहार सरकार

अभियन्ता प्रमुख कार्यालय

लघु जल संसाधन विभाग,

जल भवन, तृतीय तल्ला राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना ।

E-mail Id-engg-chf-bih@gov.in

-::आदेश ::-

आ0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी0) सं0-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-21 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता(यॉंत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कुल-03(तीन) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता(यॉंत्रिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-07 एवं समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/ गृह जिला	पिता/पति का नाम /स्थायी पता	समेकित मेघा क्रमांक/पंजीयन सं0	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि/ चयनित कोटि	नियुक्त अभ्यर्थी का फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 गयासुद्दीन/ पटना	स्व0 मो0 सलीम अहमद/ग्राम-बड़ी खगौल फाटक पर पोस्ट+थाना- खगौल, जिला-पटना, 801105	258/ BR00150010037417	16.02.1989	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
2	श्री विकास कुमार/ पश्चिम चम्पारण	श्री जगमोहन प्रसाद/ ग्राम-बेलवा, पोस्ट+थाना-लौरिया जिला-पश्चिम चम्पारण, 845453	418/ BR00150010050352	04.01.1998	अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
3	सुश्री/श्रीमती कुमारी प्रियंका/ मुजफ्फरपुर	श्री बिनय कुमार/ ग्राम-अनंत कमतौल पोस्ट+थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर, 844120	1050/ BR00150010075423	13.11.1992	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

कृ0पृ0उ0

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी ।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है । यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता(यॉंत्रिक)) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन-पत्र/स्वीकृत त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्त अधिरोपित होंगे:-

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं । अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र(NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है । नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे ।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र-सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमण्डल/कार्यालय में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे । कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा-गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमान्य नहीं होगा ।

7. बिहार पेंशन(संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

5२५ मनोज

कृ0यू030

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं(यॉंत्रिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरांत नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा ।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंताओं(यॉंत्रिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा ।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0-01/2019(कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी ।

12. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

(सुनील कुमार)
अभियन्ता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसकी 20 (बीस) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

प्रतिलिपि-महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

प्रतिलिपि- प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

ई-मेल

प्रतिलिपि- अवर सचिव, अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता /संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अभियन्ता प्रमुख ।

ज्ञापांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(क0अ0)-09/2024-**349** /पटना, दिनांक-**17.04.2025**

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/4/25

अभियन्ता प्रमुख ।